Vol III Issue VIII Feb 2014

Impact Factor : 2.2052(UIF)

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 2.2052(UIF)

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.net

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052(UIF)
Volume-3 | Issue-8 | Feb-2014
Available online at www.aygrt.isrj.net

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज की वस्तुस्थिति मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले का एक वैयक्तिक अध्ययन

अखिलेश पाल , पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र
सीनियर रिसर्च फेलो,मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

सारांश :-यह अध्ययनविकेन्द्रीकरण की सैद्धान्तिक और वास्तविक स्थितियों पर प्रकाश डालता है।अध्ययन समुदाय के अवलोकन और समूह चर्चा पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु इंदौर जिले की दो तहसीलों; सांवेर और देपालपुर को लिया गया है। इस हेतु प्रत्येक तहसील के दो–दो गांवों को अध्ययन में शमिल किया गया। प्रत्येक गांव में दो–दो समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक परिचर्चा में 20–25 उत्तरदाता शामिल किये गए जिनमें भिन्न–भिन्न लिंग, आयु एवम वर्ग के उत्तरदाता शामिल थे।

प्रस्तावना :

आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजों में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा का विशेष महत्व है।प्रशासन एवंअभिशासन में सर्वसाधारण की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण कीव्यवस्था वर्तमान समय मेंप्रमुख आवश्यकता बन गयी है। भारत के सन्दर्भ में;विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था सम्पूर्ण शासन प्रणाली के समुचित संचालन के लिए बहुत आवश्यक है।भारत जैसे बहुल समाज से युक्त, बड़े देश को जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों मेंरहती है, एक ही केन्द्र से शासित करना अत्यन्त कठिन है। अतः भारत मेंशासन प्रशासन के सफल संचालन के लिए विकेन्द्रीकरण को अपनाया गया है।

विकेन्द्रीकरणः अर्थ निरूपण

सामान्य भाषा में, विकेन्द्रीकरण का अर्थ है; शासन–सत्ता का स्थानीय स्तरों पर विभाजन; ताकि सर्व–साधारण की उसके हितों व आवश्यकताओं के अनुरुप शासन–संचालनमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दूसरे शब्दों में,आम जनता तक शासन–सत्ता की पहुंच को सुलभ बनाना ही विकेन्द्रीकरण है। यह एक ऐसीप्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक केन्द्र से संचालित न होकर अलग–अलग स्तरों सेसंचालित होता है। उन कार्यों से सम्बन्धित निर्णय भी उसी स्तर पर लिये जाते हैं तथा उनसेजुड़ी समस्याओं का समाधान भी उसी स्तर पर होता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्णय लेनेकी प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं जिला पंचायत स्तर से संचालित होती हैं।वस्तुतः विकेन्द्रीकरण को निम्न रूपों में समझा जा सकता हैः–

प्रथमतः;विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों कावितरण होता है; अर्थात केन्द्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों काबंटवारा।
द्वितीय; इसका अर्थ है, विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी मेंस्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी की सुनिश्चितता। स्थानीय इकाईयों व समुदायको ज्यादा से ज्यादा अधिकार व संसाधनों से युक्त करना ही वास्तविक विकेन्द्रीकरण का मूल उद्देश्यहै।
तृतीय; इसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार लोगों केविकास के लिए कार्य करती है।

विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था में शासन की हर इकाई स्वायत्त होती है लेकिन इसका अर्थ यहनहीं है कि वह इकाई अपने मनमाने ढंग से कार्य करे अपितु प्रत्येक इकाई अपने से ऊपरकी इकाई द्वारा बनाये गये नियमों व कानूनों के अन्तर्गत ही कार्य करती है। उदाहरण के लिएभारत में राज्य सरकारें अपने राज्य के लोगों के विकास के लिए नियम, कानून, नीतियां,कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन वे केन्द्रीय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत ही यहकार्य करती हैं। कोई भी राज्य सरकार स्वतन्त्र होते हुए भी संविधान के नियमों से बाहर रहकर कार्य नहीं कर सकती। विभिन्न स्तरों पर अनुशासन व सामंजस्य होना विकेन्द्रीकरण की प्रक्रियाकी सफलता का प्रतीक है।

अखिलेश पाल , पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र **,"***लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज की वस्तुस्थिति मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले का एक वैयक्तिक अध्ययन* **",** Golden Research Thoughts | Volume 3 | Issue 8 | Feb 2014 | Online & Print

विकेन्द्रीकरणः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वैश्विक परिदृश्य में गणतन्त्र व्यवस्था वस्तुतः भारत की देन है। सदियों से भारत में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। प्राचीन भारत में छोटे–छोटे कबीलाई राज्य थे जो जनपद कहलाते थे। राजा इन जनपदों का शासन;प्रशासन–सभा व परिषद की सहायता से चलाता था। स्थानीय स्तर पर पंचायतें, समितियों केरूप में कार्य करती थीं जो गांवों की व्यवस्था सम्बन्धी नियम एवं कानून बनाने व लागू करनेके कार्य में संलग्न रहती थीं। इन गांवों से सम्बन्धित निर्णय लेने में राजा हमेशा पंचायतों कोबराबर का भागीदार बनाता था। यही व्यवस्था विकेन्द्रीकरण का प्राचीनतम रूप थी। कालान्तर में यह व्यवस्था कमजोर होने लगी। मुस्लिम व ब्रिटिश शासनके समय इस व्यवस्था को अधिक धक्का लगा। स्वतन्त्रता के उपरान्त विकेन्द्रीकरण की अवधारणाको योजना एवं रणनीति निर्माण में शामिल किया गया। इस बात का विशेषध्यान रखा गया कि सत्ता केन्द्रित न होकर विकेन्द्रित हो, जिससे विकास कार्यों मेंजनसहभागिता सुनिश्चित की जा सके। विकेन्द्रीकरण की प्राचीन प्रणाली को देश की शासनव्यवस्था चलाने का आधार बनाया जिसके अर्न्तगत 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में 1993से स्थानीय स्तर पर भी विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को लागू किया गया।

विकेन्द्रीकरणः आवश्यकता व महत्व

शासन व सत्ता में सामान्य जनता की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त है। जनता की भागीदारी कोसत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था ही एक कारगर उपाय है। विश्वस्तर पर इस तथ्य को माना जा रहा है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भीप्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विकेन्द्रीकरण ऐसी व्यवस्थाहै जो कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जबाबदेहीको हर स्तर पर सुनिश्चित करती है। प्रत्येक स्तर पर लोग अपने अधिकारोंएवं शक्तियों का सही व संविधान की सीमा में रह कर प्रयोग कर सकें; इसके लिएविकेन्द्रीकरण की महती आवश्यकता है। इस व्यवस्था में अलग–अलग स्तरों पर लोगअपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर एक–दूसरे के सहयोग व उनमें आपसी सामंजस्य से उपलब्ध संसाधनों का, आवश्यकताव प्राथमिकता के आधार पर, उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है। साथ ही विभिन्न स्तरों पर प्रत्येकइकाई का, अपने संसाधन स्वयं जुटाने का भी अधिकार व उत्तरदायित्व होता है। लेकिनविकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येकसंस्था अपने–अपने मनमाने ढंग से कार्य करने के लिएस्वतन्त्र है। कार्य करने की स्वतन्त्रता शासन के संचालन के लिए बनाये गये नियमों एवंकानूनों की सीमा में है।

विकेन्द्रीकरण का महत्व इसलिए भी है कि इस व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय व आर्थिकविकास की योजनायें लोगों की सम्पूर्ण भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर ही बनती हैं व वहीं से लागू होती हैं। 73वें संविधान संशोधन के पूर्व प्रायः सभी योजनाओं का निर्माण केन्द्र करता था जो राज्य, जिला, विकासखण्ड के विभिन्न स्तरों से होते हुए गांवों तक पहुंचती थी। लेकिन अब नये पंचायती राज मेंविकेन्द्रीकरण की पूर्ण व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर योजना बनेगी वब्लाक, जिला, राज्य से होती हुई केन्द्र तक पहुँचेगी। योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्राम स्तरपर स्थानीय शासन द्वारा होगा। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सत्ता व शक्ति एककेन्द्र में न रहकर विभिन्न स्तरों पर विभाजित हो गई है। जिसके माध्यम से स्थानीय व ग्रामीणलोगों को प्रशासन में पूर्ण भागीदारी निभाने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

73वां संविधान संशोधनः उद्देश्य

पंचायतों को मजबूत, अधिकार सम्पन्न व स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करनेकी दिशा में संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम एक क्रान्तिकारी कदम है। 73वें संविधान संशोधन केपीछे निम्न उद्देश्य है–

निर्णय को विकेन्द्रीकृत करना तथा स्थानीय स्तर पर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिकप्रकिया शुरू करना;
स्थानीय स्तर पर पंचायतों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, विकास कार्यों व शासन मेंलोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना;
ग्राम विकास प्रक्रिया के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में गांव के लोगों कीसहभागिता सुनिश्चित करना व उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का अहसास कराना;
लम्बे समय से हाशिये पर रहने वाले वर्गों जैसे महिला, दलित एवं पिछड़ों को ग्रामविकास व निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता बढ़ाना व लोगों को अधिकार देना।

73वां संविधान अधिनियम

भारत में सदियों से चली आ रहीपंचायत व्यवस्था जो कई कारणों से विगत काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुनर्जीवित करनेएवं शासन में तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर संविधान में 73वां व 74वां संशोधन किया गया। 73वें (संविधान) संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राजव्यवस्था की जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत केनगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई । इन अधिनियमों के अनुसार भारत केप्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक रूप से लागू करने के नियम बनायेगये। इस अधिनियम में जहांस्थानीय स्वशासन को प्रमुखता देते हुए उसे सक्रिय किये जाने के निर्देश हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यसरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतासुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात "नया पंचायती राज अधिनियम" प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र कोजनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है। यह गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने कीपहल है।

पंचायती राज स्थानीय जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

73वां संविधान संशोधनःमुख्य प्रावधान

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये नई पंचायत राज व्यवस्था एक सराहनीय प्रयास है। संक्षेप में, 73वें संविधान अधिनियम में निम्न बातोंको शामिल किया गया है –

पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा;
ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता;
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था;
महिलाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों में एक–तिहाई सीटों परआरक्षण;
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी जनसंख्या केआधार पर आरक्षण;
पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तथा कार्यकाल पूरा होने से पहलेचुनाव कराया जाना अनिवार्य;
विघटन की स्थिति में छह माह के भीतर चुनाव;
प्रत्येक पांच साल बाद पंचायतोंके लिये सुनिश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर वित्त का निर्धारण करने हेतु प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान;
सभी ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्रपंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा;
पंचायत में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु छह समितियों (नियोजन एवं विकाससमिति, शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिकसमिति, जल प्रबन्धन समिति) की स्थापना;
पंचायतों की निर्वाचनप्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियन्त्रण रखने हेतु प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान;

कुल मिलाकर संविधान के 73वें संशोधन ने नवीन पंचायत व्यवस्था के अर्न्तगत न सिर्फपंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है अपितु समाज केकमजोर, दलित वर्ग तथा सदा से शोषित होती आई महिलाओं को विकास की मुख्य धारा सेजुड़ने का भी अवसर दिया है।

विकेन्द्रीकरण व पंचायतें

विकेन्द्रीकरण को स्थापित करने में पंचायतों की अहम भूमिका है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम पंचायतें ही हैं। चूंकि पंचायतेंस्थानीय लोगों के द्वारा गठित होती हैं, और इन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, अतः येस्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का एक अचूक तरीका हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं हीआर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं ग्रामसभा के साथ मिलकर बनाती हैं और उन्हे लागू करती हैं। गांव के लिये कौन सी योजना बननी है, कैसे क्रियान्वित करनी है, क्रियान्वयन केदौरान कौन निगरानी करेगा, ये सभी कार्य पंचायतें गांव के लोगों (ग्रामसभा सदस्यों) की सक्रियभागीदारी से करेंगी। इससे निर्णय के स्तर पर सामान्य जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत हो सकता है जब पंचायतें मजबूत हों और पंचायतें तभीमजबूत होंगी जब लोग मिलजुलकर इसके कार्यों में अपनी भागीदारी दें और अपने उत्तरदायित्वों को समझें। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिताहोना आवश्यक है। पहले भी लोग स्वयं अपने संसाधनों का, अपने ग्राम विकास का प्रबन्धन करतेथे। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रबन्धन आज से कहीं बेहतर भी होता था। हमारी परम्परागतरूप से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की सोच विगत समय के साथ कमजोर हुई है। नईपंचायत व्यवस्था के माध्यम से इस परम्परा को पुनः जीवित होने का अवसर मिला है। अतःग्रामीणों को चाहिये कि पंचायत और स्थानीय स्वशासन की मूल अवधारणा को समझने कीचेष्टा करें ताकि ये दोनों ही एक–दूसरे के पूरक बन सकें।

गांवों का विकास तभी सम्भव है जब सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ाजाये। जब तक गांव के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के निर्णयों में गांव के पहले तथाअन्तिम व्यक्ति की बराबर की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम ग्राम स्वराज की कल्पना नहींकर सकते हैं। जनसामान्य की अपनी सरकार तभी सशक्त बनेगी जब लोग ग्रामसभा औरग्रामपंचायत में अपनी भागीदारी के महत्व को समझेंगे।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन समुदाय के अवलोकन और समूह चर्चा पर आधारित है। अध्ययन विकेन्द्रीकरण की वास्तविक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु इंदौर जिले की दो तहसीलों; सांवेर और देपालपुर को लिया गया है। इस हेतु प्रत्येक तहसील के दो–दो गांवों को अध्ययन में शमिल किया गया। प्रत्येक गांव में दो–दो समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक परिचर्चा में 20–25 उत्तरदाता शामिल किये गए जिनमें भिन्न–भिन्न लिंग, आयु एवम वर्ग के उत्तरदाता शामिल थे।

समूह चर्चाः एक

ग्रामः देवरा खेड़ी (Deora Khedi)

देवराखेड़ी गांव इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील में स्थित है। इस समूह चर्चा में कुल 22 उत्तरदाता सम्मिलित थे जिनमें 14 पुरूष एवं 08 महिलाएं सम्मिलित थीं। परिचर्चा के दौरान लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज के प्रमुख घटक ग्रामसभा के बारे में यह तथ्य प्रमुखता से उभर कर आया कि इस समूह के उत्तरदाता यद्यपि ग्राम सभा एवं इसकी बैठकों के बारे में जानते हैं तथापिवे इन बैठकों में सहभाग नहीं करते हैं। इसका एक सर्वप्रमुख कारण यह है कि बैठक में ग्राम सभा सदस्यों की कोई नहीं सुनता है। सामान्यतः ग्राम सभा में सभी निर्णय सरपंच और सचिव की मिलीभगत से लिए जाते हैं। परिचर्चा में यह भी स्पष्ट हुआ कि अधिकांश समय हितग्राही चयन में भी सरपंच एवं सचिव की मिलीभगत रहती है। कभी–कभी तो व्यक्ति की जानकारी के बिना भी उसका नाम हितग्राही सूची में चलता रहता है। बजट के विषय में इस समूह को कोई जानकारी नहीं है। इनके अनुसार कितना पैसा आया; कहां व्यय करना है; किस तरीके से और किस मद में व्यय करना है आदि; इस सब का निर्णय सरपंच/सचिव मिलकर करते हैं।

समूह चर्चाः दो

ग्रामः अरोदा कोट (Aroda Kot)

अरोदा कोट गांव इन्दौर जिले की देपालपुर तहसील में स्थित है। इस समूह चर्चा में कुल 28 उत्तरदाता सम्मिलित थे जिनमें 10 पुरूष एवं 18 महिलाएं सम्मिलित हैं। इस समूह से परिचर्चा से स्पष्ट हुआ कि सभी उत्तरदाता ग्राम सभा एवं उसकी बैठकों के बारे में जानकारी रखते हैं। महिलाओं के अतिरिक्त सभी पुरूष ग्राम सभा की बैठक में सहभाग करते हैं। चूंकि सभी महिला उत्तरदाता गृहणियां हैं अतः समयाभाव के कारण वे ग्राम सभा की बैठक में सहभाग नहीं करती हैं। बैठक में जाने वाले उत्तरदाताओं का स्पष्ट मानना है कि उन्हे ग्राम सभा की किसी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पंचायत प्रतिनिधि उनसे खाली पेपर पर हस्ताक्षर लेकर वापस भेज देते हैं। हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया के विषय में उत्तरदाताओं को कोई जानकारी नहीं है यद्यपि वे यह मानते हैं कि हितग्राही चयन में आर्थिक तत्व की भी भूमिका रहती है। इस समूह में भी बजट के विषय में कोई जानकारी नहीं है। समूह का स्पष्ट अभिमत है कि यदि ग्राम सभा की बैठक पंचायत भवन के स्थान पर गांव की चौपाल पर हो तो पंचायत के कार्यों में अधिक पारदर्शिता सम्भव होगी।

समूह चर्चाः तीन

ग्रामः बलघरा (Balghara)

बलघरा गांव इन्दौर जिले की सांवेर तहसील में स्थित है। इस समूह चर्चा में कुल 20 उत्तरदाता सम्मिलित थे जिनमें 14 पुरूष एवं 06 महिलाएं सम्मिलित हैं।इस समूह के सभी उत्तरदाताओं को ग्राम सभा की सामान्य जानकारी है। समूह के लोग ग्राम सभा की बैठकों के बारे में भी जानते हैं यद्यपि वे इनमें सहभाग नहीं करते हैं।समूह के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक में सहभाग न करने का सबसे प्रमुख कारण कोई लाभ न होना है। उत्तरदाताओं के मतानुसार हितग्राहियों का चयन सरपंच और सचिव के अनुसार होता है जिसमें प्रायः सरपंच के समर्थक चयनित होते हैं। बजट के बारे में किसी उत्तरदाता को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

समूह चर्चाः चार

ग्रामः धान खेड़ी(Dhan Khedi)

धान खेड़ी गांव इन्दौर जिले की सांवेर तहसील में स्थित है। इस समूह चर्चा में कुल 28 उत्तरदाता सम्मिलित थे जिनमें 18 पुरूष एवं 10 महिलाएं सम्मिलित हैं। इस समूह के सभी उत्तरदाताओं को ग्राम सभा एवं उसकी बैठकों के बारे में जानकारी है। सभी उत्तरदाता ग्राम सभा की बैठक में सहभाग करते हैं। उत्तरदाता ग्राम सभा की बैठकों में नयी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और योजनाओं हेतु अपना नाम देते हैं। समूह के अनुसार हितग्राही चयन में प्रमुख भूमिका सरपंच की होती है और इस सन्दर्भ में ग्राम सभा की भूमिका शून्य है। उत्तरदाताओं को बजट सम्बन्धी सामान्य जानकारी है किन्तु बजट के व्यय पर उनके अनुसार सरपंच एवं सचिव का एकाधिकार है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपर्युक्त समूह परिचर्चा के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामान्यतः लोगों को ग्राम सभा एवं इसकी बैठक के बारे में जानकारी है किन्तु बैठक में सहभागिता का स्तर अब भी कम है। इसका सर्वप्रमुख कारण उत्तरदाताओं में जागरूकता एवं सूचना का अभाव है। हितग्राही चयन में सामान्यतः सरपंच एवं सचिव की प्रमुख भूमिका रहती है। इस सन्दर्भ में ग्राम सभा अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने में अब भी सक्षम नहीं हुई है। बजट के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की जानकारी शून्य है जिसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में शुभ संकेत

नहीं माना जा सकता।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज की वास्तविक सफलता की सीमाओं को दूर करने सम्बन्धी सुझाव; जो अध्ययन से उभरकर आए हैं; निम्न हैं–

1.शासन द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जायें।
2.ग्रामसभा सदस्यों को ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए गैर सरकारी संगठनों एवं शासन द्वारा आवश्यक प्रयास किए जायें।
3.ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यथोचित कार्यवाही न होने की दशा में इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति की जवाबदेही तय करने का प्रावधान भी किया जाये, तभी पंचायत राज संस्था सफल होने की पूर्णता प्राप्त कर सकेगी।
4.ग्रामसभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों का पूरी ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए तथा इसमें अनावश्यक प्रशासकीय हस्तक्षेप न हो।
5.शासकीय कार्यों का मूल्याँकन समय से होना चाहिए ताकि कार्यों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
6.समय–समय पर ग्रामसभा की बैठक की जानकारी शासन द्वारा मँगाई जाये, जिससे पता चल सके कि ग्रामसभा की बैठक में कौन–कौन से कार्य प्रस्तावित किए गये है और कितने कार्य शेष है।
7.समितियों के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और उनको इस कार्य के लिए निश्चित वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे कि बेहतर तरीके और पूरी ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सके।
8.इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यदि उपर्युक्त सुझावों को अमल में लाते हुए पंचायत राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और नीतियों में बदलाव लाते हैं तो निश्चित रूप से पंचायत राज संस्थाएँ अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभा सकेंगी, जिससे समावेशी विकास के लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकेगा। सम्प्रति ग्रामीण विकास की समस्याओं के निराकरण में विकासात्मक एवं चेतनामूलक गतिविधियों की आवश्यकता है, जिससे ग्रामवासी न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। यह सब केवल प्रभावी पंचायत राज संस्थाओं के सफल क्रियान्वयन से ही सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.Pattanayak, Raimann (Ed.) (2002); Local Government Administration Reform, Anmol Publications, New Delhi.
2.Sanyal, B.M.(2001); India: decentralised planning, themes and issues, Concept, New Delhi.
3.Singh, S.K. (2004); Panchayati Raj Finances in Madhya Pradesh, Concept Publishing Company, New Delhi.
4.Singh, S.P. (2003); Planning and Management for rural Development, Mittal Publication, New Delhi.
5.Sisodia, Yatindra Singh (Ed.) (2005); Functioning of Panchayat Raj System, Rawat Publications, Jaipur.
6.Soni, Jasprit Kaur (2005); Governance of Panchayati Raj, Authors Press Publishers of Scholarly Books, New Delhi.
7.Verma, S.L.(1990); Panchayati Raj, Gram Swaraj And Federal Polity Rawat Publications, Jaipur.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.net